



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND
CLIMATE CHANGE



एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Integrated Regional
Office, Chandigarh

F.No.-: 9-HRB129/2021-CHA

दिनांक: 03-08-2021

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ़।
(fcforest@hry.nic.in)

विषय: Diversion of 0.3843 ha of forest land in favour of Sub Divisional Engineer, Provl. Sub Divn. No. 2 PWD B&R, Yamunanagar for construction of 2 lane ROB on Ladwa-Mustfabad road at level crossing LC 106 Ambala Saharanpur Railway line, under forest division and district Yamunanagar, Harayana (Online proposal No. FP/HR/Road/122969/2021)-regarding

संदर्भ (i) State Government online proposal received on dated 29.07.2021.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.3843 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

(A) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है:-

- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएंगे।
- User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.
- User Agency shall ensure that no other proposal in the division, for which Stage-I has already been granted in the past, is still pending for compliance of conditions of Stage-I approval. An Undertaking to this effect that "no such proposal for compliance of conditions of Stage-I approval is pending with this division" be submitted. Compliance of the same will be mandatory for the final clearance of this proposal by this office.

vi. FRA certificate from competent authority to be submitted.

(B) वे शर्तें, जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है, परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज-II अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है:-

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़/पौधे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 170 से अधिक नहीं होगी
- iii. The State Government shall upload the KML files of the degraded forest area accepted for raising compensatory afforestation in the E-Green watch portal of FSI, before handing over of forest land to the user agency.
- iv. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- v. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- vi. जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vii. एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
- viii. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- ix. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- x. वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।
- xi. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।
- xii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।
- xiii. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।
- xiv. स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- xv. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- xvi. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xvii. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय – समय पर लगाई जा सकती है।
- xviii. प्रयोक्ता एजेंसी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट राज्य सरकार तथा इस क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से भेजेगी।
- xix. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

हस्ता/-
(सी०डी०सिंह)
क्षेत्रीय आधिकारी
IRO, MoEF&CC, Chandigarh

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली। (adgfc-mef@nic.in)
2. PCCF (HoFF), Forest Department, Government of Haryana, C-18, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana. (pccf-hry@nic.in)
3. Divisional Forest Officer, Forest Division District Yamunanagar Haryana (dfo_tynr@rediffmail.com)
4. SDE PSD-II PWD BNR BR Yamunanagar, Haryana (rsnehrasdepsdynr@gmail.com)

बेज नं. 24-25, सेक्टर-31 ए, चंडीगढ़-160030 / Bays No. 24-25, Sector-31 A, Chandigarh-160030
दूरभाष/Tel No : 0172-2638061 Fax No : 0172-2638135 Email : ronz.chd-mef@nic.in